

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष सू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/एफ-4/23/2021/10-11/2352

भोपाल, दिनांक 14-7-21

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,

जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:- नीमच जिले के अंतर्गत वन मंडल नीमच में एमपी-30 गांधी सागर ऑफ-स्ट्रिम पम्पेड स्टोरेज परियोजना (1440 मेगावाट) के निर्माण हेतु 301.96 हेक्टेयर वनभूमि ग्रीनको एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-18/2021-FC दिनांक 06.07.2021

-0-

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने पत्र क्रमांक 8-18/2021-FC दिनांक 06.07.2021 से 07 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जो निम्नानुसार है :-

1. बिन्दु क्रमांक-1, 2, 5 एवं 7 की जानकारी का संबंध आवेदक संस्था से हैं। इन बिन्दुओं पर आवेदक संस्था द्वारा उनके पत्र दिनांक 14.07.2021 से प्रेषित की गई है, जो संलग्न है।
2. बिन्दु क्रमांक-3 (a) के संबंध में लेख है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि शिवपुरी जिले में प्राप्त हुई है। प्रबंधन की दृष्टि से वनमण्डलाधिकारी, शिवपुरी द्वारा रोपण योजना 11 टुकड़ों में तैयार की गई है। तदनुसार 11 टुकड़ों में वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी द्वारा जारी की गई है।  
बिन्दु क्रमांक-3 (b) के संबंध में लेख है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये प्राप्त गैर वनभूमि की चैनलिक फेंसिंग कर अतिक्रमण से सुरक्षा की जायेगी।
3. बिन्दु क्रमांक-4 के संबंध में लेख है कि वनमण्डलाधिकारी, नीमच ने पत्र क्रमांक/3275 दिनांक 09.07.2021 से अवगत कराया है कि प्रस्तावित वनक्षेत्र में विलुप्तप्राय प्रजातियों में तेन्दुआ, सफेद गिद्ध मगरगच्छ, गोयरा, मोर एवं अजगर प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों के संरक्षण के लिये एक योजना तैयार की गई है। इस वन्यप्राणी संरक्षण योजना की स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा पत्र क्रमांक/4246 दिनांक 21.06.2021 से दी गई है। इस योजना पर कुल 166.90 लाख रुपये की राशि व्यय होगी। यह प्रबंधन योजना तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा जारी स्वीकृति की प्रति प्रस्ताव के साथ ही प्रेषित की गई है।
4. बिन्दु क्रमांक-6 के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, नीमच के पत्र दिनांक 09.07.2021 के साथ संलग्न परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र रामपुरा द्वारा प्रेषित जानकारी में प्रस्तावित क्षेत्र के अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कोई पट्टे या अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया है।

-2-

5. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कलेक्टर, जिला नीमच का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, जो संलग्न प्रेषित है।

अतः उपरोक्त जानकारी संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में भारत सरकार की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

*[Signature]*  
(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-4/23/2021/10-11/2353

भोपाल, दिनांक 14-7-21

प्रतिलिपि:-

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल
  2. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
  3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, नीमच, मध्यप्रदेश।
  4. ग्रीनको एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

**FORM II**

(For Projects other than Linear Projects)  
Government of Madhya Pradesh  
Office of the District Collector, Neemuch

NO.T-FRA/2021/1286

Neemuch, Dated: 08.07.2021

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**


In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 301.96 Ha (Compartment no 438, 439, 440, 444, 446 and 447) of reserved forest land proposed to be diverted in favor of M/s Greenko Energies Private Limited (GEPL) for construction of (1440 MW) MP 30 Gandhi Sagar off Stream Pumped Storage Project in Neemuch District falls within jurisdiction of Gram Panchayat (s) of Khemla Block, Amarpura, Barwadiya and Majiriya in Tehsil Rampura, Sub-Division Manasa, District Neemuch of Madhya Pradesh.

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of forest rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act, 2006 (FRA) has been carried out for the entire 301.96 Ha (Compartment no 438, 439, 440, 444, 446 and 447) of Forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Gram Sabhas, Sub-Divisional Level Committee and District Level Committee are enclosed as Annexure-1 to 6.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest- dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Khemla Block, Amarpura, Barwadiya and Majiriya Gram Panchayat (s) is enclosed as Annexure 1 to Annexure 4.
- (d) The discussion and decisions on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of the Gram Sabha Panchayats present.

- (e) The diversion of Forest Land for facilities managed by the Government as required under Section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of the Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above

  
(Mayank Agarwal, IAS)  
District Collector,  
Neemuch, (M.P.)